

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 36/2020

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट

ईसाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट  
निवासी हनुमानसागर (खटोडा) तहसील खीवसर।

नायब तहसीलदार खीवसर तहसील खीवसर।

उपस्थिति :-

1. श्री भगवान सिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:23.02.2021

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खीवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 24/2020 सरकार बनाम ईसाराम में निर्णय दिनांक 20.07.2020 के तहत मौजा हनुमानसागर के खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 02.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार खीवसर के प्रकरण सं. 24/2020 सरकार बनाम गुलाराम की फोटोप्रति तथा अखबार की कटिंग की फोटोप्रति पेश की। अपील के दौरान फरसाराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी खटोडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2020 को आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया। जो उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 5.2.21 को अस्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत पारित, राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पूर्ण सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)-अपीलान्त ने कथित नोटिस की पालना में उपस्थित होकर प्राथमिक आपति जवाब पेश कर निवेदन किया कि उसका रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। उसका कब्जा पीढियो से उसके खातेदारी के खेत पर ही रहता चला आया है। कथित बाड व तारबंदी पीढियो पुरानी है। इस रास्ता पर दीगर गंवरी, फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक वगैरा का नाजायज अतिक्रमण किया होने से उनके विरुद्ध अपीलान्त व दीगर लोगो ने प्रशासन को शिकायत की थी। जिससे नाराज होकर उन्होंने पटवारी से मिलीभगत कर राजनैतिक रसूखात का इस्तेमाल कर अपीलान्त की आवाज दबाने व उस पर दबाव बनाने के लिये अपीलान्त के विरुद्ध ही मिथ्या रिपोर्ट पटवारी से करवायी है। पटवारी उक्त ग्राम रोजगार सहायक फरसाराम वगैरा के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर उनके अतिक्रमण को बचाये रखने के लिये अपीलान्त के विरुद्ध गलत रिपोर्ट बिना सही नाप चोप किये पेश की है व पूर्व में अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट व कथन किये है। इस कारण निष्पक्ष टीम से नाप चोप करवाया जावे ताकि वास्तविक स्थिति पत्रावली पर आ सके। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व बनता है कि अपीलान्त गरीब किसान की इस व्यथा व वास्तविक स्थिति पर ध्यान देकर उनके द्वारा राजहित व जनहित में जो गवरी, फरसाराम रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायत करने व उनके अतिक्रमण बाबत जांच करवाते व निष्पक्ष टीम से नाप चोप करवाते, अपने स्तर पर

Page 1 of 4

  
अपर कलक्टर, नागौर

मौके की जांच करते तो सारी स्थिति पत्रावली पर आ जाती मगर अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया व अपीलांट को पूर्ण जवाब व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आनन फानन में बिना किसी अर्जेन्सी के दूसरी पेशी पर ही पटवारी से जिरह आदि का अवसर दिये बिना ही कथित पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व उसके समर्थन में पटवारी के बयान लेकर केवल पटवारी की रिपोर्ट व बयानों का हवाला देकर निर्णय जैर अपील पारित किया है व अपीलांट के उजरात के संबंध में कोई विवेचन, विश्लेषण निर्णय में नहीं किया है। इन परिस्थितियों में कथित निर्णय जैर अपील विधिक प्रक्रिया के तहत पारित निर्णय न होकर निरंकुश निर्णय है व नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरा को भलीभांति जानकारी रही है कि उक्त निर्णय गैर कानूनी रूप से पारित किया गया है। वर्तमान दौर में कोरोना महामारी के कारण किसान लोग पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं व रोजी रोटी की विकट समस्या बनी हुई है। इसके उपरांत भी स्थानीय प्रशासन द्वारा राजनेतिक रसूखात के चलते चंद लोगों की स्वार्थपूर्ति में इस तरह से किसानों के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात कर उनकी सुनवाई किये बिना उनकी फसल को नष्ट करके लाखों रु. का नुकसान किया है व उक्त रास्ते का सही सीमाज्ञान नहीं करके विपरीत दिशा में रास्ता की भूमि दबी हुई होने के बावजूद उसको बचाने के लिये अपीलांट की खातेदारी की भूमि में जबरन नया रास्ता कायम करने की बदनियति से निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलांट के साथ भारी अन्याय हुआ है।

{2}(III)—गंवरी पत्नी सोनाराम व फरसाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी हनुमानसागर (ग्राम रोजगार सहायक) द्वारा मौजा हनुमानसागर के हस्तगत खसरा नं. 264 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 8 बिस्वा पर तीन बार अतिक्रमण करने पर उनके विरुद्ध शिकायत करने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट होकर मु.नं. 294/17 दर्ज होकर अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 29.11.17 को किया, फिर भी इन लोगों ने अतिक्रमण यथावत रखा जिस पर पुनः मु.नं. 39/18 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 24.9.18 को अतिक्रमण हटाने का पारित किया, फिर भी उक्त गंवरी व फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक ने अपने अतिक्रमण नहीं हटाने दिया व अपने राजनेतिक रसूखात का इस्तेमाल कर पटवारी व स्थानीय प्रशासन से कोई कार्यवाही नहीं होने दी। जिस पर पुनः शिकायत होने पर पुनः मु.नं. 2/18 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 30.1.18 को होकर बेदखली के आदेश हुए थे। इस प्रकार उक्त रास्ता की भूमि पर उक्त गंवरी देवी व फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक बार बार अतिक्रमण करने के आदी हैं रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में बार बार इनके विरुद्ध शिकायतें होकर मुकदमे दर्ज होकर बेदखली के आदेश होने के बावजूद तहसीलदार खीवसर द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कारावास से दण्डित नहीं करने के कारण इनके होसले बुलन्द होते गये व अतिक्रमण को पुख्ता करने के लिये रास्ते पर पक्का झुपडा व टाप बना दिये हैं। इनके अतिक्रमण के संबंध में समाचार पत्र में भी खबर प्रकाशित हुई थी। लेकिन इनके विरुद्ध उपरोक्त मुकदमों की कार्यवाहिया मात्र कागजों में की गयी। मौके पर ऐसी कोई कार्यवाही कब्जा हटाने की भौतिक रूप से नहीं की गयी व आम जनता इनके विरुद्ध शिकायत करती रही। ठीक इसी तरह नेनाराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी हनुमानसागर ने खसरा नं. 264 गै. मु. रास्ता रकबा 5 बिस्वा पर अतिक्रमण करने का मुकदमा नं. 6/18 निर्णय दिनांक 30.1.18 तथा मु.नं. 43/18 निर्णय दिनांक 24.9.18 में मात्र जुर्माना करके छोड़ दिया। मौके से भौतिक बेदखल नहीं किया। इनके पश्चातवर्ती अतिक्रमण हैं। लेकिन उक्त अतिक्रमी फरसाराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी हनुमानसागर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खटोडा में कार्यरत होने से सरकारी कर्मचारी होने से पटवारी वगैरा इसके दबाव व प्रभाव में आकर इनको बचा रहे हैं व इनके पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के बावजूद दण्डित नहीं किया गया, इस बाबत जिला प्रशासन द्वारा भी तहसील प्रशासन से इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया कि इनके विरुद्ध बार बार मुकदमे होने व अतिक्रमण साबित होने के बावजूद पश्चातवर्ती अतिक्रमियों को सजा से दण्डित क्यों नहीं किया जा रहा है और तरह की शिथिलता के चलते उक्त फरसाराम ग्राम रोजगार सहायक वगैरा जो कि प्रभावशाली व्यक्ति होने से अपना पक्का निर्माण जो गै.मु. रास्ता पर किया हुआ है। उसे मौके पर से नहीं हटा कर मात्र कागजी कार्यवाही ही होने दे रहे हैं और इनके विरुद्ध और शिकायत गांव वाले व अपीलांट वगैरा नहीं करे। इसी के चलते पटवारी से अपीलांट के विरुद्ध सरासर झूठी रिपोर्ट करवा कर उक्त निर्णय करवा कर आनन फानन में अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी के खेत में घुसकर उक्त फरसाराम ग्राम सहायक रोजगार व सरपंच, पटवारी वगैरा खड़े रहकर आपस में मिलीभगती करके कानून को हाथ में लेकर मौके पर पूरी तरह से तानाशाही करते हुए मशीने वगैरा लाकर अपीलांट की खातेदारी की भूमि में खड़ी फसल, तारबंदी, बाड़े, सीवे तोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया है व एक गरीब किसान के साथ वर्तमान वैश्विक महामारी के इस दौर में गोर अन्याय करके लाखों रु. का

नुकसान पहुंचाया है। ऐसी दशा में उक्त निर्णय जैर अपील को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करवायी जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(IV)—अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी का खेत खसरा नं. 425 वाके मौजा हनुमानसागर में स्थित है। जिसके उतर में कटाणी रास्ता चलता है। जो खटोडा से साठिका डामर सडक से आगे पोटलियो की ढाणी जाने वाला रास्ता है। जिसके खसरा नं. 264 है व अपीलांट के खेत के उतर में स्थित कथित खसरा नं. 264 कटाणी रास्ता पर अपीलांट का एक इंच भू भाग पर भी कभी किसी भी रूप में कोई कब्जा / अतिक्रमण नहीं था न है न होगा। अपीलांट का अपनी खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा है। रास्ते की तरफ पीढियों से धोरा पाली, बाड, तारबंदी की हुई रहती चली आयी थी, हर वर्ष की भांति अपनी खातेदारी की भूमि में ही अपीलांट फसल की बुवाई कर अवैरता रहा है व परिवार की जीविकोपार्जन करता रहा है। मगर अपीलांट सहित ग्रामवासियों ने अन्य अतिक्रमियों के विरुद्ध शिकायत करने मात्र से रंजिशवश अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही करवा कर उसकी खातेदारी की भूमि में खड़ी फसल को नष्ट किया गया है व इसी दुराशय से व दबाव बनाने के लिये आनन फानन में जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के, बिना विधिवत सुनवाई किये उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जो एक भारतीय नागरिक व किसान के साथ स्थानीय प्रशासन को भंयकर अत्याचार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के विधिक व संवैधानिक अधिकारों पर सरकारी नुमाइन्दों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)—अपीलांट का कथित खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व में कभी कब्जा / अतिक्रमण रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगों ने पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव में लेकर अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 264 के चिपता ही अपीलांट की खातेदारी का खेत स्थित है और वास्तविक नाप चोप करवाने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी व हो सकती है और उस नाप चोप व सीमाज्ञान में यदि एक इंच भी खातेदारी से अधिक अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा छोड़ने को सदैव तैयार था, है व रहेगा, जब इस तरह का नम्रतापूर्वक निवेदन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं की। जबकि इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि किसी काश्तकार के ऐसे निवेदन पर नाप चोप व सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही निष्पक्ष टीम से करके विवाद का निस्तारण किया जावे। मगर प्रकरण हाजा में ऐसा नहीं करके बिना किसी आधार के, बिना विधिक सुनवाई के, बिना पत्रावली का अवलोकन किये व बिना आवश्यकता के ही ऐसा निर्णय जैर अपील पारित कर आनन फानन में उसकी पालना में फसल को क्षति पहुंचायी है व अब नया रास्ता कायम करना चाहते हैं। जबकि वास्तविक अतिक्रमियों के विरुद्ध तीन तीन बार निर्णय होने के बावजूद मौके पर से उनको भौतिक रूप से बेदखल नहीं करना स्पष्ट रूप से आपस में मिलीभगती व दुर्भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में बिना किसी प्रकार की जांच किये व नायब तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके पर गै.मु. रास्ता का नाप चोप टीम से करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)—वकील अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि आराजी खसरा नं. 264 में गवरी पत्नी सोनाराम व परसाराम पुत्र सोनाराम के अतिक्रमण होने की शिकायत परसाराम पुत्र ईसाराम द्वारा जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत की गई। जिस पर जिला कलक्टर महोदय ने उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार खीवसर को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिस पर उपखण्ड अधिकारी खीवसर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक राजस्व/2020/4588 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा मौके पर खसरा नं. 264 का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 29.08.2020 को आराजी खसरा नं. 264 का मौके पर सीमाज्ञान किया गया है। जिसमें अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। इसके अलावा वकील अपीलांट ने बहस के दौरान भू अभिलेख निरीक्षक बिरलोका श्री गंगासिंह, तिलोकराम पुत्र गोविन्दराम जाट पटवारी पाबूसर एवं श्रणलाल खुडीवाल पुत्र सुगनाराम पटवारी खटोडा के बयान दिनांक 05.10.20 की ओर ध्यान दिलाया तथा तर्क दिया कि इनके बयानों के अनुसार "सर्वेक्षण टीम द्वारा किये गये सीमांकन और मौके पर बताये गये सीमाचिन्ह अनुसार इस हस्तगत प्रकरण में गैर सायलान गवरी पत्नी सोनाराम एवं परसाराम पुत्र सोनाराम का अतिक्रमण काश्त एवं छपरा बनाकर किया हुआ पाया


गया।" से भी अपीलांट का आराजी खसरे मे अतिक्रमण पाया गया हो, ऐसा साबित नही है तथा अपीलांट का आराजी भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा न ही वो भविष्य मे अतिक्रमण करेगा। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2003(1) पेज 26 नजीर प्रस्तुत की गई है।

{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा हनुमानसागर में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक भूमि है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके हनुमानसागर के खसरा नंबर 264 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लेने तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}-उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मनोज कुमार )  
अपर क्लर्क, नागौर  
नागौर